No.CDN-27011/2/2018-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 15.01.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of December, 2018 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
2. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
3. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
4. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
9. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research,C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
15. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of December, 2018"

(Nilratan Das)
Deputy Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF DECEMBER, 2018

(1) Circular:-

Vide general circular 11/2018 dated 10.12.2018 additional fees payable by companies on CRA-4 (Cost Audit Report in XBRL format) has been relaxed upto 31.12.2018, wherever additional fee is application.

(2) Notifications:-

(i) Vide Notification no. G.S.R. 1157 (E) dated 03.12.2018 the Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2018 few amendments have been made in Table under the heading B non-regulator sector and further vide amendment in rule 6, in sub rule 6 by adding a proviso period for filing Form CRA-4 has been extended for those companies which have got extension of time of holding Annual General Meeting under section 96(1) of Companies Act, 2013.

(ii) Vide Notification no. S.O. 6225 (E) dated 18.12.2018 powers of Central Government has, under first proviso to clause 41 of section 2 and second proviso to sub section (1) of section 14 of the Companies Act, 2013, delegated to Regional Director at Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong.

(iii) Vide Notification no. G.S.R. 1218 (E) dated 18.12.2018 the Companies (Registration of Charges) Second Amendment Rules, 2018 Form no. CHG-4 (for satisfaction of charge) has been substituted.

(iv) Vide Notification no. G.S.R. 1219 (E) dated 18.12.2018 the Companies (Incorporation) Fourth Amendment Rules, 2018 Form INC 20A has been introduced for filing declaration at the time of commencement of business. Further, e-form no. RD-1 has been specified for filing application under sub section (41) of section 2 for change in financial year for approval of concerned Regional Director. In addition to above, said rule has also specified e-form RD-1 for application under section 14 for conversion of public company into private company with approval of concerned Regional Director.

(3) Third Roadshow of Competition Commission of India (CCI) was held at Ahmedabad on 18th December, 2018 relating to Public Procurement, Cartel and Trade Associations.

(4) On 5 December 2018, the Supreme Court dismissed an appeal by the CCI challenging a Bombay High Court order in a matter alleging cartelization by telecom companies Airtel, Vodafone and Idea (collectively, the **IDOs**).In the petition, the Competition Commission of India and Reliance Jio Infocomm's pleas to probe cartelization charges levelled by the Mukesh Ambani-owned 4G entrant against Bharti Airtel, Vodafone India and Idea Cellular – the latter two have recently merged to form Vodafone Idea – providing relief to the older incumbent carriers.

(5) The Supreme Court of India (Supreme Court) in its seminal judgment in Rajasthan Cylinders and Containers Ltd. v. Union of India has conclusively held that parallel pricing alone is not sufficient for a finding of bid rigging and that market conditions can be responsible for such parallel behavior. This decision clarifies the standard of proof required to establish bid rigging in an "oligopoly" market.

(6) Ms. Sangeeta Verma, (IES:1981) has been appointed as Member, CCI.

सं.सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेटे कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली- 110001
तारीख: .01.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिसंबर, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, विधायी विभाग; शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
15. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित: (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि, निदेशक (ए.के.) - को एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का दिसंबर, 2018 का मासिक सार" शीर्ष के अंतर्गत अपलोड करने के लिए प्रेषित।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)
उप सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

दिसंबर, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्लियां

(1) परिपत्र:-

दिनांक 10.12.2018 के सामान्य परिपत्र संख्या 11/2018 के द्वारा कंपनियों द्वारा सीआरए-4 (एक्सबीआरएल प्ररूप में लागत लेखा प्रतिवेदन) पर देय अतिरिक्त शुल्क, जहां भी शुल्क लागू हो, दिनांक 31.12.18 तक के लिए छूट दी गई है।

(2) अधिसूचनाएं:-

(i) दिनांक 03.12.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1157 (अ) के द्वारा कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2018 में शीर्षक ख गैर-नियामक क्षेत्र के अंतर्गत तालिका में कुछ संशोधन किये गए हैं और आगे संशोधन द्वारा नियम 6 के उपनियम 6 में परंतुक जोड़कर सीआरए प्ररूप-4 दाखिल करने की अवधि उन कंपनियों के लिए बढ़ाई गई है जिनका कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के तहत वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की समयावधि को बढ़ाया गया है।

(ii) दिनांक 18.12.20198 की अधिसूचना सं. का आ 6225 (अ) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिसूचना, 2013 की धारा 14 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक और धारा 2 के खंड 41 के पहले परंतुक के तहत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग के प्रादेशिक निदेशकों को प्रत्यायोजित की गई है।

(iii) दिनांक 18.12.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1218 (अ) के तहत कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2018 प्ररूप संख्या सीएचजी-4 (प्रभार की संतुष्टि के लिए) प्रति स्थापित किया गया।

(iv) दिनांक 18.12.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2019 (अ) के तहत कंपनी (निगमीकरण) चौथा संशोधन नियम, 2018 प्ररूप आईएनसी 20 क कंपनी के प्रारंभ की घोषणा के समय दायर करना आरंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष में बदलाव के लिए, धारा 2 की उपधारा (41) के तहत संबंधित प्रादेशिक निदेशक के अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु ई-प्ररूप सं. आरडी-1 निर्दिष्ट किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, कथित नियम को धारा 14 के तहत सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी के रूप में परिवर्तित करने के

लिए भी संबंधित प्रादेशिक निदेशक के अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु ई-प्ररूप आरडी-1 निर्दिष्ट किया गया है।

(3) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का लोक प्रापण, कार्टेल और व्यापारिक संघों से संबंधित तृतीय रोड़शो अहमदाबाद में 18 दिसंबर, 2018 को आयोजित किया गया है।

(4) 5 दिसंबर, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने सीसीआई द्वारा दूरसंचार कंपनियों-एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया (सामूहिक रूप से आईडीओ) द्वारा कार्टेल बनाने के आरोप वाले मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। याचिका में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और रिलायंस जियो इंफोकॉम द्वारा मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली 4जी प्रतिस्पर्धी कंपनी द्वारा भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर- के लिए कार्टेलाइजेशन के आरोपों की जांच करने वाले मामले में यह दलील दी गई है कि इसमें बाद वाली दो कंपनियों का हाल ही में पुरानी कंपनी को सुविधा देते हुए वोडाफोन आइडिया के रूप में विलय किया गया है।

(5) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्राथमिक निर्णय में राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में अंतत: यह फैसला दिया कि बोली का भाव बढ़ाने के निष्कर्ष के लिए अकेले समानांतर मूल्य निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है और ऐसे समानांतर व्यवहार के लिए बाजार की स्थिति भी उत्तरदायी हो सकती हैं। इय निर्णय द्वारा "अत्याधिकार बाजार" में बोली के भाव में वृद्धि कायम करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य मानक स्पष्ट होते हैं।

(6) सुश्री संगीता वर्मा, (आईईएस:1981) सीसीआई की सदस्या नियुक्त की गई हैं।